न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0न0 73/अपील 14(4)/21 तारिख दायराः 20.12.2021

उनवान

श्यामलाल आयु 60 साल पुत्र भंवरलाल जाति नाई निवासी देवडूंगरी तहसील बकानी जिला झालावाड़

बनाम

01. मदनलाल पुत्र कंवरलाल जाति लोधा निवासी देवडूंगरी तहसील बकानी जिला झालावाड़ राजस्थान
02. एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी केम्प परगना अधिकारी झालावाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान
03. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील बकानी जिला झालावाड़

प्रा0पत्र बाबत निरस्त किये जाने आंवटन दिनांक 01.11.2001 अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन अधिनियम

उपस्थितः– श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलान्ट

श्री मोतीलाल लोधा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट (अनुपस्थित)

पेरोकार सरकार

–: **निर्णय** :– दिनांकः 18.06.2024

यह अपील भू आवंटन सलाहकार समिति परगना अधिकारी झालावाड़ के आवंटन आदेश दिनांक 01.11.2001 जिसके द्वारा आवंटी मदनलाल पुत्र कंवरलाल लोधा जाति लोधा निवासी देवडूंगरी तहसील बकानी को ग्राम देवडूंगरी की आराजी ख0न0 555 रकबा 09 बिस्वा आराजी का गलत तरीके से आवंटन किया गया है। अप्रार्थी नं0 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को भूमि आवंटित किये जाने से पूर्व कोई प्रोलेक्शन जारी नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 को जो खसरा नं0 555 रकबा 09 बिस्वा आवंटित की गई है उसके लिए कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है जो नियम विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 को मोके पर कोई कब्जा नहीं संभलाया गया है तथा वर्तमान में भी आवंटित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा नहीं है। खसरा नं0 555 रकबा 9 बिस्वा आवंटित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में दखलनामा तैयार नहीं किया गया तथा प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है एवं उक्त आराजी प्रार्थी के मकान से लगी हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 को जो खातेदारी अधिकार आवंटित भूमि के संबंध में दिये गए है वे भी बिना तहकीकात एवं मौके जानकारी बगैर दिये गए है जो अवैधानिक होने से स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 02 ने आवंटन किये जाते समय आवंटन रूल्स की पालना नहीं की है तथा आवंटी भूमिहीन कृषक भी नहीं था उसके खाते में प्रारम्भ से ही आराजी मौजूद थी जबकि प्राथी एक भूमिहीन कृषक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी नं0 01 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जाकर जो खातेदारी अधिकार दिये गए है उन्हे भी निरस्त फरमाया जावे।

18/12

जिला कलक्टर
झालावाड़

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पो0 1 की ओर से वकील श्री मोतीलाल लोधा का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली बहस में रखी गई।

पत्रावली में बहस उभयपक्षों में उपस्थित वकील अपीलांट एवं रेस्पो0 की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित है वकील रेस्पो0 संख्या 01 दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए है। उपस्थित वकील अपीलांट एवं पेराकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपनी लिखित बहस में अपील मीमों अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बताया कि एडवाइजरी कमेटी द्वारा भूमि आवंटन करते वक्त भू आवंटन नियमों, शर्तों की पालना नहीं की गई है साथ ही आवंटित भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आवंटित की गई आराजी पर बिना दखलनामा प्राप्त किये जारी कर दिया गया जो आवंटन नियमों एवं शर्तों के विपरित है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 01.11.2001 निरस्त फरमाया जावे। परोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि एडवाईजरी कमेटी द्वारा दिनांक 01.11.2001 को जो प्रश्नगत आराजी रेस्पो0 संख्या 01 को आवंटित की गई है वह आवंटन नियमों एवं शर्तों अनुसार आवंटन कमेटी की सिफारिश पर कोरम पूरा होने के बाद या कोरम की सिफारिश के बाद परगना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झालावाड़ द्वारा आवंटन किया गया है तत्पश्चात बाद आवंटन विधिवत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस का मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि आवंटी मदनलाल पुत्र कंवरलाल जाति लोधा निवासी देवडूंगरी तहसील बकानी को सलाहकार समिति द्वारा जो आवंटन किया गया है वह नियत प्रारूप में नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाकर किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि आवंटी को उक्त भूमि पर दखल दिया जाकर नियत समय अवधि पश्चात खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहें हैं कि आंवटन किस प्रकार विधि के सिद्धान्तो के सर्वथा विपरित है। प्रकरण में आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना किये जाने पर ही खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। अपीलार्थी यह साबित कर पाने में असमर्थ रहें है कि आवंटन किस प्रकार विधि विरूद्ध है व इस आवंटन से उनके हित किस प्रकार प्रभावित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलार्थी द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रकरण निराधार होने से अस्वीकार होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/06

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़